

प्रेस नोट – थाना मऊदरवाजा

दिनांक - 08.10.2026

थाना मऊदरवाजा पुलिस द्वारा लूट के अभियोग में वांछित 15000 रुपयों का इनामिया 01 बाल अपचारी को किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री यमुना प्रसाद के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मऊदरवाजा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 375/2025 धारा 309(4), 317(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट में वांछित 15000 रुपयों के इनामिया 01 बाल अपराची को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण: दिनांक 24.12.2025 को वादी श्री सुमन प्रकाश दुबे पुत्र स्व0 दलजीत दुबे निवासी काशीराम कालोनी हैवतपुर गढ़िया थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ द्वारा तहरीर दी गई कि दिनांक 23.12.2025 की शाम समय करीब 18.45 बजे दुकान से घर वापस जाते समय अज्ञात मोटर साइकिल सवारों ने टक्कर मारकर गिरा दिया तथा तमंचा तान कर झोले में रखे रुपये छीनकर भाग गये थे। वादी की तहरीर के आधार पर थाना मऊदरवाजा पर मु0अ0सं0 375/2025 धारा 309(4) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना के क्रम में प्रकाश में आये 04 अभियुक्तों में से 02 अभियुक्तों/बालअपचारी को दिनांक 21.03.2026 को तथा 01 अभियुक्त को दिनांक 04.04.2026 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अग्रिम विवेचना के क्रम में शेष वांछित 15000 रुपयों का इनामिया 01 बाल अपचारी को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

बाल अपचारी का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 375/2025 धारा 309(4), 317(2) BNS व 3/25 आयुध अधिनियम थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।

हिरासत में लेने वाली थाना मऊदरवाजा पुलिस टीम-

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. थाना प्रभारी श्री अजब सिंह | 7. का0 डिम्पल कुमार |
| 2. उ0नि0 श्री कासिफ हनीफ | 8. का0 विनीत कुमार |
| 3. उ0नि0 श्री यतेन्द्र सिंह | 9. म0का0 मधु रानी |

4. हे0का0 सुबोध कुमार

5. हे0का0 सरताज अहमद

6. का0 नरेश

10. का0 प्रवीन कुमार

11. का0 गुलाम गौस

सर्विलान्स/SOG टीम

01. प्रभारी उ0नि0 श्री सन्त कुमार मय टीम

मीडिया सेल फतेहगढ़।

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

कोतवाली फर्रुखाबाद

दि०-08.10.2026

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन अभियुक्तगण को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त दीनानाथ पुत्र सुखवासीलाल निवासी श्यामनगर थाना कादरीगेट जनपद फर्रुखाबाद के विरुद्ध मु०अ०सं०- 1217/2019 वाद संख्या 226/2020 धारा 452/323/354/504/506/34 भा०द०वि० 3(1)(घ) व 3(2)Va SC/ST Act कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरुद्ध मा० न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/कोर्ट मोहरीर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए मा० न्यायालय एडीजे-2/एससी/एसटी कोर्ट द्वारा दिनांक 30.03.2026 को अभियुक्त को दोषसिद्ध कर 04 वर्ष के कारावास की सजा व 25000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी -श्री कृष्ण कुमार पाण्डे



एडीजीसी -श्री अनुज कटियार



को० मो० का० बन्टी कुमार



पैरोकार का० राजीव कुमार



फतेहगढ़ पुलिस



*** मिशन शक्ति 5.0 द्वितीय चरण ***

#OperationConviction

थाना मेरापुर

दिनांक-08.10.2026

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान व “ मिशन शक्ति 5.0 द्वितीय चरण ” के दृष्टिगत महिला संबंधी अपराधों में प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त राजीव पुत्र राकेश निवासी पुनपालपुर थाना मेरापुर जनपद फतेहगढ़ मु0अ0सं0- 22/2024 वाद संख्या 173/2024 धारा 376(एबी) भा0द0वि0 5एम/6 पाक्सो एक्ट थाना मेरापुर जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था । जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरुद्ध मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया ।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहर्रि के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए मा0 न्यायालय पाँक्सो कोर्ट - प्रथम द्वारा दिनांक 08.10.2026 को अभियुक्त को दोषसिद्ध कर 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा व 20000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।



एडीजीसी - श्री प्रदीप सिंह



को0 मो0 म0हे0का0 मंजुला गौतम



पैरोकार -हे0 का0 श्याम जी